न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।
विविध वाद सं0–08/2023

15.07.2023

प्रस्तुत वाद आज ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान उनका कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–68/1999 के आलोक में प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है। मूल स्वत्व वाद सं0–68/1999 वादी के पैरवी नही होने के कारण दिनांक–04.01.2023 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद में मूल अभिलोख की मांग प्रायः की जाती रही है। मूल अभिलेख के अनुपस्थिति के कारण अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं था। उनका कहना है कि मूल वाद में उभय पक्ष की गवाही एवं आंशिक बहस भी हो चुका था जिस कारण वाद को अदम पैरवी में खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः विद्वान अधिवक्ता मूल स्वत्व वाद सं0–68/1999 में पारित आदेश दिनांक–04.01.2023 को रिकॉल कर मूल वाद को पुनर्जीवित किया जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि मूल स्वत्व वाद सं0–68/1999 वादी के प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–17.02.2021 पर प्रतिउत्तर हेतु नियत चला आ रहा था। वादी के द्वारा अपने प्रतिस्थापन आवेदन को काफी लम्बे समय से प्रचालित नहीं किया जा रहा था। न्यायालय के द्वारा वाद को पैरवी हेतु कई दिशा निर्देश पारित किए गए हैं लेकिन फिर भी वादी को अपने वाद में रूचि नहीं रहने के कारण वाद को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। प्रस्तुत वाद काफी पुराना वर्ष 1999 का है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी लिस्ट में उक्त वाद शामिल है जिसमें शीघ्र ही निष्पाद करने का आदेश पारित है। वादी के द्वारा अपने वाद में कोई रूचि नहीं लेने के कारण उसे अदम पैरवी में ही खारिज करना न्यायोचित था। प्रस्तुत विविध वाद के माध्यम से वादी अपने वाद के प्रति जागरूक हुआ है एवं वाद में उचित पैरवी करने का प्रार्थना किया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में वादी का आवेदन विविध वाद सं0–08/2023 को तीन हजार रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। खर्चे के राशि डी0एल0एस0ए0 के भिक्टिम कंपेशेसन फण्ड में देय होगा के साथ वादी का मूल वाद ग्रहन किया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय